



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 3 मई, 1976

वंशांक 13, 1898 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

बिभायिका अनुभाग-1

संख्या 1998/17-वि०-1-152-75

लखनऊ, 3 मई, 1976

अधिसूचना

विधि

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 30 अप्रैल, 1976 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाएँ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

- 1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (2) यह 10 अक्टूबर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

2--एतद्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (क) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट तर्कों को सुनिश्चित करने के लिये राज्य की नीति की प्रमाणी करने के लिये है। घोषणा

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 1,
1961 में शब्द
“प्रतिकर अधि-
कारी” के स्थान
पर शब्द “नियत
प्राधिकारी” और
शब्द “प्रतिकर
निर्धारण तालिका”
के स्थान पर
शब्द “निर्धारण
तालिका” का
रखा जाना

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 1,
1961 की धारा
2 का संशोधन

धारा 3 का
संशोधन

धारा 5 का
संशोधन

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में, जिसे आगे मूल अधि-
नियम कहा गया है :—

(क) शब्द “प्रतिकर अधिकारी” जहां कहीं आये हों, उनके स्थान पर शब्द “नियत
प्राधिकारी” रखे जायेंगे, और

(ख) शब्द “प्रतिकर निर्धारण तालिका” जहां कहीं आये हों, उनके स्थान पर शब्द
“निर्धारण तालिका” रखे जायेंगे।

4—मूल अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (2) में, शब्द “उत्तराखण्ड मण्डल और कुमायूँ मण्डल
(डिवीजन)” के स्थान पर शब्द “कुमायूँ तथा गढ़वाल मण्डल” रखे जायेंगे, और 20 दिसम्बर, 1968
से रखे गये समझे जायेंगे।

5—मूल अधिनियम की धारा 3 में—

(क) खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायगा और सदैव से रखा गया
समझा जायगा, अर्थात्:—

“(5) ‘निगम’ का तात्पर्य किसी संविधिक निगम, अर्थात् किसी उत्तर प्रदेश
अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम से है;”

(ख) खण्ड (8) में, शब्द “पपीता, केला या अंगूर की लतायें” के स्थान पर शब्द
“अमरुद, पपीता, केला या अंगूर की लतायें” रखे जायेंगे और 8 जून, 1973 से रखे गये
समझे जायेंगे ;

(ग) खंड (11) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायगा और 8 जून, 1973
से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

“(11) ‘सिंचित भूमि’ का तात्पर्य धारा 4-क में निर्धारित रीति से उस रूप में
अवधारित भूमि से है।”

6—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में, उसके स्पष्टीकरण 2 में, शब्द “यदि कोई भूमि किसी ऐसे
व्यक्ति द्वारा मूलतः धृत थी जो वास्तव में उसके कब्जे में चली आ रही है किन्तु बाद में
वार्षिक रजिस्ट्रारों में किसी अन्य व्यक्ति का नाम” के स्थान पर शब्द “यदि 24 जनवरी
1971 को या उसके पूर्व कोई भूमि किसी व्यक्ति के पास थी, जिसका जोत कब्जा उस पर
चला आ रहा है और उक्त दिनांक के पश्चात् वार्षिक रजिस्ट्रार में किसी अन्य व्यक्ति का नाम
रखा जायगा और 17 जनवरी, 1975 से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) उपधारा (6) में, उसके स्पष्टीकरण 1 में, वर्तमान खंड (क) के स्थान पर
निम्नलिखित खंड रखा जायगा, अर्थात्:—

“(क) किसी वाद या कार्यवाही में, 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् किसी
व्यक्ति को सह-खातेदार के रूप में घोषित किया जाना, मले ही ऐसा वाद या ऐसी
कार्यवाही 24 जनवरी, 1971 को विचाराधीन थी अथवा उसके पश्चात् संस्थित की
गयी थी।”;

(ग) उपधारा (7) में, उसके प्रतिवन्वात्मक खंड का खंड (क) निकाला जायगा;

(घ) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्,—

“(8) उपधारा (6) तथा (7) में किसी बात के होते हुये भी, कोई खातेदार
अपने विषय में अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के लिये कार्यवाही पर्यन्त अपने
खाते की किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा और इस उपधारा के उल्लंघन में किया
गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि अतिरिक्त
भूमि के अवधारण की कार्यवाही धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस के
प्रकाशन के दिनांक को प्रारम्भ हुई और उस दिनांक को समाप्त हुई, जबकि ऐसे
खातेदार के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 12 की
उपधारा (1) के अधीन या, यथास्थिति, धारा 13 के अधीन आदेश दिया जाय।

7—मूल अधिनियम की धारा 6 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और उसे सदैव उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित समझा जायगा, और—

धारा 6 का संशोधन

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, और शब्दों से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

“स्पष्टीकरण:—उपधारा (1) के खंड (च) की कोई बात उक्त उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट गोशाला के सम्बन्ध में लागू न होगी।”;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ाई जायेंगी और सदैव से बढ़ाई गयी समझी जायेंगी, अर्थात्—

“(2) कोई व्यक्ति राज्य सरकार की पूर्ण अनुज्ञा के बिना उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (छ) या खंड (च) या खंड (छ) में निर्दिष्ट किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा, और ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक अन्तरण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, शून्य होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसके पक्ष में किसी अन्तरण पर लागू न होगी ।

(3) किसी भूमि को, जो किसी ऐसे अन्तरण का विषय हो, जो उपधारा (2) के आबार पर शून्य है, अतिरिक्त भूमि समझा जायगा, और वह दिनांक 10 अक्टूबर, 1975 या ऐसे तात्पर्यित अन्तरण के दिनांक से, जो भी पश्चात्पूर्वी हो, समस्त मार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अतिरिक्त और उसमें निहित हो जायगी, और उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा ।

(4) जहां कोई भूमि उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त भूमि समझी जाय—

(1) वहां धारा 14 की उपधारा (8) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन अविसूचित भूमि हो ;

(2) धारा 17 के अधीन उसके लिये देय राशि उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसके पक्ष में ऐसा अन्तरण करना तात्पर्यित हो ।”

8—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात्:—

धारा 9 का संशोधन

“प्रतिबन्ध यह है कि 10 अक्टूबर, 1975 के पश्चात् किसी समय नियत प्राधिकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसे खातेदार से जिसके पास उक्त दिनांक को उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह नियत प्राधिकारी को ऐसी नोटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण या उससे सम्बन्धित कोई सूचना प्रस्तुत करे ।”;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्—

“(2-क) प्रत्येक खातेदार जिसके पास 24 जनवरी, 1971 को, या उसके पश्चात् किसी समय अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो और जिसने उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत न किया हो और जिसके सम्बन्ध में 10 अक्टूबर, 1975 को इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही विचाराधीन न हो, उक्त दिनांक से तीस दिन के भीतर नियत प्राधिकारी को एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें—

(क) 24 जनवरी, 1971 को उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत,

(ख) 24 जनवरी, 1971 और 10 अक्टूबर, 1975 के बीच उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित या निस्तारित, समस्त भूमि का व्योरा दिया जायगा ।”

9—मूल अधिनियम की धारा 12—क में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में,—

धारा 12—क का संशोधन

(1) खंड (ग) में शब्द “किसी बैंकिंग कम्पनी” के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक “उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी बैंक” रखे जायेंगे और 31 मार्च, 1975 से रखे गये समझे जायेंगे;

(2) खंड (घ) में, उपखंड (1) में शब्द “प्रतिकर” के स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ।

10—मूल अधिनियम की धारा 13—क में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक “और 15” के स्थान पर शब्द और अंक “15 और 16” रखे जायेंगे ।

धारा 13—क का संशोधन

धारा 14 का
संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 14 में—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात्:—

“(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसी समस्त अतिरिक्त भूमि समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित तथा उसमें निहित हो जायेगी और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा ।”

(ख) उपधारा (3), (4), (5), (6), तथा (7) निकाल दी जायगी;

(ग) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात्:—

“(8) कलेक्टर उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी समय अतिरिक्त भूमि पर और किसी असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर भी, जो ऐसी फसल या फल न हो जिन पर धारा 15 की उपधारा (1) लागू होती हो, खातेदार या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके अध्यासन में वह भूमि हो, बेदखल करने के पश्चात् कब्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो :—

प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार किसी समय कलेक्टर को अपने द्वारा धृत सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा स्वेच्छा से दे सकता है, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो या घोषित किये जाने की संभावना हो, और तदुपरान्त ऐसी भूमि पर उपधारा (2) के उपबन्ध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अतिरिक्त भूमि पर लागू होते हैं ।”

धारा 15 का
संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद ‘असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल’ का तात्पर्य किसी ऐसी फसल या फल से है जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक को बिद्यमान हो और इसमें कोई अनुवर्ती फसल या वृक्षों के फल सम्मिलित नहीं है ।”

नई धारा 16
का बढ़ाया जाना

13—मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ाई जायगी, अर्थात्:—

“16—यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972

अतिरिक्त भूमि के उप-योग तथा अध्यासन के लिये क्षति-पूर्ति के प्रारम्भ होने के दिनांक पर या उसके पश्चात् किसी खातेदार के पास उस पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो वह खातेदार जुलाई, 1973 के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली अवधि से धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन कलेक्टर द्वारा उक्त अतिरिक्त भूमि का कब्जा लिये जाने के दिनांक तक, या उस दिनांक तक जब खातेदार उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन कलेक्टर को स्वेच्छा से कब्जा दे, जो भी पहले हो, उसके उपयोग और अध्यासन के लिये राज्य सरकार को उस प्रतिकर का देनदार होगा, जो नियत किया जाय ।”

धारा 17 का
संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 17 में—

(क) अध्याय 3 के शीर्षक सहित पार्श्व शीर्षक में, शब्द “प्रतिकर” के स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द “प्रतिकर” के स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा समझा जायगा;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

“(2) खातेदार का शिकमी काश्तकार या असामी, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 11 में उल्लिखित असामी न हो, खातेदार को देयराशि में से एक भाग पाने का हकदार होगा और उसे वह दिया जायगा । शिकमी काश्तकार या असामी को देय राशि का भाग उसके अधीनवर्ती स्वत्व की अव्यतीत अवधि के लिये मौरूसी दरों पर आकलित मालगुजारी की पूरी राशि के बराबर होगी, परन्तु शिकमी काश्तकार या असामी किसी भी दशा में, खातेदार को देय राशि के एक चौथाई भाग से अधिक पाने का हकदार न होगा । वह राशि खातेदार तथा शिकमी काश्तकार या असामी के बीच नियत प्राधिकारी द्वारा विभाजित की जायगी ।”;

(घ) उपधारा (3) में शब्द “प्रतिकर” जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ।

15—मूल अधिनियम की धारा 17-क में—

(क) उसके पार्श्व शीर्षक सहित खंड (1) और (2) में शब्द “प्रतिकर” जहाँ कहीं आया हो, उसके स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) खंड (3) में, शब्द “प्रतिकर धारा 17 के अनुसार दिया जायगा”, के स्थान पर शब्द “राशि धारा 17 के अनुसार दी जायगी” रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 17-क
का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 17-ख में—

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द “कतिपय मामलों में प्रतिकर लौटाया जाना” के स्थान पर शब्द “कतिपय मामलों में राशि का लौटाया जाना” रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में शब्द “दिये गये प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि या जैसी भी दशा हो, आनुपातिक धनराशि” के स्थान पर शब्द “उसको दी गयी सम्पूर्ण राशि या, जैसी भी दशा हो, उसका आनुपातिक भाग” रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 17-ख
का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 18 में शब्द और अंक “धारा 17 के अधीन देय प्रतिकर” के स्थान पर शब्द और अंक “धारा 17 के अधीन देय राशि” रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 18 का
संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक “धारा 17 के अधीन प्रतिकर” के स्थान पर शब्द और अंक “धारा 17 के अधीन देय राशि” रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 19 का
संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 22 में—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द “प्रतिकर” के स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द “प्रतिकर की धनराशि” के स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

धारा 22 का
संशोधन

“(2) राशि उस दिनांक से देय होगी, जिस दिनांक को धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन भूमि पर कब्जा किया जाय, और जब राशि पाने के हक्दार व्यक्ति की विभिन्न भूमि पर कब्जा विभिन्न दिनांकों पर किया जाय तो ऐसे दिनांकों में अंतिम दिनांक से देय होगी, और वह उस राशि के अवधारण के दिनांक से देय होगी।”;

(घ) उपधारा (3) में—

(1) शब्द “इस अधिनियम के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि” के स्थान पर शब्द और अंक “धारा 17 के अधीन अवधारित राशि” रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(2) शब्द “प्रतिकर दातव्य होने के दिनांक से” के स्थान पर शब्द “ऐसी राशि देय होने के दिनांक से ” रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(3) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

“(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्त भूमि के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व से पूर्णतः उन्मुक्त करेगा, किन्तु उस व्यक्ति के प्रति जिसे इस प्रकार भुगतान किया जाय, उक्त राशि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।”

20—मूल अधिनियम की धारा 23 में—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द “प्रतिकर की धनराशि” के स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) शब्द “प्रतिकर” के स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ।

धारा 23 का
संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 27 में—

(1) उपधारा (3) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक “उपधारा (1) और (2)” के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक “उपधारा (1) तथा (3)” रखे जायेंगे ;

धारा 27 का
संशोधन

(2) उपधारा (6) में—

(क) शब्द “ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के एक वर्ष के भीतर” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक “उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ से पांच वर्ष के भीतर” रखे जायेंगे;

(ख) शब्द “दो वर्ष” के स्थान पर शब्द “पांच वर्ष” रखे जायेंगे;

(3) उपधारा (7) में शब्द “गजट में अधिसूचना द्वारा” के स्थान पर शब्द “विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले सामान्य या विशेष आदेश द्वारा” रखे जायेंगे।

धारा 29 का
संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 29 में, शब्द “और तदनुसार इस प्रकार पुनः अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि जो उसके द्वारा धृत होगी, अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहारित की जाने योग्य होगी” के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा अंक रखे जायेंगे, अर्थात्:—

“और तदनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध, धारा 16 को छोड़कर आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।”

धारा 35 का
प्रतिस्थापन

23—मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

“35-(1) कोई भी जो—

(क) धारा 9 की उपधारा (2) या उपधारा (2-क), या धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विवरण या धारा 38-क की उपधारा (1) के अधीन शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण देता है या प्रस्तुत करता है या दस्तावेज में कोई सूचना देता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने के बारे में विश्वास करने का कारण उसके पास है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश का अन्यथा उल्लंघन करता है, या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमि का कब्जा लेने में किसी व्यक्ति को रुकावट पहुंचाता है, या

(ङ) धारा 5 की उपधारा (8), या धारा 6 की उपधारा (2) के उल्लंघन पूर्वक किसी भूमि का अन्तरण करता है,

तो वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या अर्थ-दंड से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) जहां कलेक्टर ने धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया है और कोई व्यक्ति तत्पश्चात् किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर अध्यासन करता है वहां वह व्यक्ति कारावास से ऐसी अवधि के लिये, जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थ-दंड से या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराने वाला कोई न्यायालय उस व्यक्ति को सरसरी तौर पर ऐसी भूमि से बेदखल करने का आदेश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, बेदखल कर दिया जायगा।

(4) उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी भूमि का पुनः कब्जा ले सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो किसी व्यक्ति को जिसका उस पर अध्यासन पाया जाय, बेदखल करने के लिए आवश्यक हो।”

नयी धारा 35-क
का बढ़ाया जाना

24—मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्:—

“35-क—कोई न्यायालय, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को पूर्व अनुमति के बिना, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।”

धारा 38 का
संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (2) में, शब्द “किसी व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज)” के स्थान पर शब्द “किसी अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश” रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

नई धारा 38-क
और 38-ख का
बढ़ाया जाना

26—मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ाई जायेंगी, अर्थात्:—

“38-क-(1)—जहां नियत प्राधिकारी या अपील न्यायालय इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिये यह आवश्यक समझे, वहां वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में किसी प्रक्रम पर किसी खातेदार से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में ऐसा विवरण, जैसा नियत किया जाय, शपथ-पत्र द्वारा प्रस्तुत करे।

खातेदार से भूमि
का विवरण मांगने
की शक्ति

(2) खातेदार की अतिरिक्त भूमि के अवधारणार्थ उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत भूमि के विवरण पर विचार किया जा सकता है।

38-ख—इस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही में या किसी वादपद पर पूर्व न्याय (जिसके अन्तर्गत कोई आदेश, डिक्री या निर्णय भी है) इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किसी निष्कर्ष या विनिश्चय से इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाही या वादपद पर समय-समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनः विचारण में कोई रुकावट न होगी।”

27—मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी, अर्थात्:—

धारा 40 का संशोधन

“40—यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को कोई धनराशि देय हो, तो उसे वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 3 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय राशि से, यदि कोई हो, काट कर या मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।”

28—मूल अधिनियम की धारा 41 में, शब्द “प्रतिकर की धनराशि” के स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा।

धारा 41 का संशोधन

29—मूल अधिनियम की धारा 44 में—

धारा 44 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात्:—

“(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।”

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात्:—

“(खख) शर्तें जो धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन भूमि का अन्तरण करने की अनुज्ञा देने से संबंधित हो;”

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

30—मूल अधिनियम की अनुसूची में—

अनुसूची का संशोधन

(क) भाग I में, द्वितीय स्तम्भ में—

(i) मद (क) के सामने शब्द “अथवा देय मालगुजारी का अस्सी गुना, इसमें जो भी अधिक हो,” निकाल दिये जायेंगे और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे;

(ii) मद (ख) के सामने, शब्द “प्रतिकर की धनराशि”, जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा;

(iii) मद (घ) में, शब्द “गांव समाज” के स्थान पर शब्द “गांव सभा” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा;

(iv) मद (ङ) के सामने, शब्द “प्रतिकर की धनराशि”, जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा;

(ख) भाग 3 में—

(i) मद (क) में, शब्द “प्रतिकर” जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द “राशि” रखा जायगा;

(ii) मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

“(ख) धारा 3 के खण्ड (9) में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार को देय राशि उस राशि का 7/8 भाग होगी, जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो, और शेष राशि संबद्ध सरकारी पट्टेदार को दी जायगी;”

(ग) भाग 4 में—

(i) मद (क) के नीचे टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

“टिप्पणी—इमारत की राशि के अन्तर्गत उस भूमि की राशि भी होगी जिस पर इमारत स्थित हो।”

(ii) मद (ग) में—

(1) उपमद (1) के नीचे की टिप्पणी निकाल दी जायगी और सदैव से निकाली गयी समझी जायगी;

(2) उपमद (3) के सामने द्वितीय स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्न-लिखित प्रविष्टि रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:—
“ऐसे वृक्षों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का आठ गुना”;

(3) उपमद (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—मद (ग) के प्रयोजनार्थ, किसी वृक्ष के सम्बन्ध में पद ‘औसत मूल्य’ का तात्पर्य ऐसे वृक्ष से होने वाले बीस वर्ष के लाभ के अंकगणितीय औसत से है।”

संक्रमणकालीन
उपबन्ध

31—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व यथा विद्यमान मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) से (7) के अधीन सभी कार्यवाहियां जो ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, ऐसे दिनांक को उपशमित समझी जायेंगी।

(2) यदि मूल अधिनियम के अधीन किसी खातेदार के संबंध में अतिरिक्त भूमि अवधारित करने का आदेश दिनांक 17 जनवरी, 1975 के पूर्व दिया गया हो और नियत प्राधिकारी से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण करने की अपेक्षा की जाय तो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत और 10 अक्टूबर, 1975 के ठीक पूर्व विचाराधीन मूल अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रत्येक अपील या ऐसी अपील के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाहियां उक्त दिनांक को उपशमित समझी जायेंगी।

(3) यदि 10 अक्टूबर, 1975 के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन किसी खातेदार के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने का आदेश दिया गया हो, तो चाहे ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो या नहीं और अतिरिक्त भूमि के अवधारण के मूल आदेश के विरुद्ध किसी अपील के होते हुए भी (चाहे वह विचाराधीन हो या निर्णित हो), नियत प्राधिकारी (जैसा कि मूल अधिनियम में परिभाषित है) उक्त दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण कर सकता है।

(4) इस धारा की उपधारा (3) के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण करने के प्रत्येक आदेश के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 13 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 में निदिष्ट आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, तीस दिन की अवधि की गणना ऐसे आदेश के दिनांक से या 10 अक्टूबर, 1975 से, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, की जायेगी।

(5) मूल अधिनियम की धारा 13-क के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि के प्रत्येक पुनः अवधारण पर लागू होंगे।

(6) यदि कोई निर्धारण सूची 16 फरवरी, 1976 के पूर्व धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन अन्तिम हो गयी हो, तो इस अधिनियम द्वारा, अनुसूची के साथ पठित मूल अधिनियम के अध्याय 3 में किये गये किसी संशोधन के होते हुए भी, उस पर पुनः विचार नहीं किया जायगा।

निरसन और
अपवाद

32—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तदनुसृत उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 11
1976

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 11
1975
उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 11
1973

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 11
1976